न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या — 26 / 2018

प्रार्थीः— **बनाम** **अप्रार्थीगण**

1. सरकार जरिये तहसीलदार बाली

सामुहिक कृषि सहकारी समिति, बेडल —

1. अध्यक्ष— साकलाराम पुत्र वीराजी देवासी
2. सदस्य— जवाना पुत्र नवा
3. हीरा पुत्र वीरा
4. रूगनाथ पुत्र वाला
5. थाना पुत्र
6. वेना पुत्र भीमा
7. थाना पुत्र हीरा
8. सादला पुत्र केना
9. काना पुत्र तोला
10. सावदा पुत्र डुगां
11. वरदा पुत्र मोड़ा
12. तोला पुत्र पुरा
13. करना पुत्र मोड़ा
14. सरूपा पुत्र धीरा
15. मगा पुत्र भीमा
16. कूपा पुत्र भीवा
17. जगा पुत्र चौपा
18. समीया पुत्र भला
19. माणका पुत्र वाला
20. मोती पुत्र हीरा

कौम रेबारी सा.देह सामूहिक कृषि सहकारी समिति बेड़ल गैर खातेदार

उपस्थितिः—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत राज. भू राजस्व (सहकारी समितियों को भू आवंटन) नियम 1959 के तहत आवंटित भूमि को निरस्त करने बाबत्</u>

—:<u>आदेश</u>:— दिनांक 26.07.2021

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अंतर्गत राज. भू राजस्व (सहकारी समितियों को भू आवंटन) नियम 1959 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बेडल के खसरा नंबर 270,495,495 / 718, 496 रकबा 72.38 हेक्टर भूमि सहकारी समिति बेड़ल को सामूहिक रूप से

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

काश्त करने हेतू दिनांक 19.06.1962 में आवंटन की गई थी। सोसायटी की वर्तमान स्थिती, सोसायटी वर्तमान में कार्यशील नही है कार्यालय नही है। सोसायटी के सदस्यों द्वारा खेती नही की जाती है सदस्यगण व्यक्तिगत निजी कब्जा कब्जा कर खेती करते है। सोसायटी के सदस्यों ने सामूहिक रूप से खेती नही की है। सोसायटी द्वारा आंवटन नियमों एवं शर्तों की पालना नही की गई है। सहकारी सामुहिक कृषि सहकारी समिति द्वारा सोसायटी नियमो एवं आवंटन नियमों की पालना नही की गई है। सहकारी समिति विफल हो गई है। आवेदक, **द्वारा नियम 1959 के नियम 5 में वर्णित शर्तों की पालना नही करने से आवंटन निरस्त योग्य है।**

साथ ही उप रजिस्ट्रार, सहाकरी समितियाँ, पाली ने निवेदन किया कि कलेक्डर वर्ष 2021–22 की जांच ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बेडल संयुक्त कृषि स.स.लि. वर्तमान में बंद है तथा उक्त समिति की जांच श्री विक्रम सिंह राजावत, निरीक्षक (कार्यकारी), सहकारी समितियाँ, पाली द्वारा करवाई गयी। उक्त जांच अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के अनुसार समिति का नाम बेडल सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि., बेडल, पं,स, बाली है जिसके पंजियक क्रमांक 901/टी, दिनांक 29.06.1964 है जांच पेशी दिनांक 15.10.2019 को समिति के अध्यक्ष/सचिव अनुपस्थित रहे, कोई जवाबादावा प्रस्तुत नही किया गया। समति को पुनः नोटिस दिनांक 15.10.2019 दिया जाकर जांच पेशी दिनांक 07.11.2019 निश्चित की गई। जांचपेशी दिनांक 07.11.2019 को समिति के अध्यक्ष/ सचिव अनुपस्थित रहे तथा कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया। वक्त पंजीयन समिति का रजिस्ट्रेशन क्रमांक 901/टी, दिनांक 29.06.1964 को बेडल सामूहिक कृषि सहाकरी समिति लि. बेडल, पं.स बाली के नाम से किया गया था। वक्त पंजीयन समिति रजिस्ट्रेशन के समय कुल 18 सदस्य थें। तथा समिति द्वारा कुल पांच संचालकों का मनोनयन किया गया था। तहसीलदार, बाली व आवंटन कमेटी के द्वारा कुल 533 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि दिनांक 19.06.1962 को आवंटित की गई थी। जमाबंदी के अनुसार समिति के पास वर्तमान में मात्र 5.54 बीघा (खसरा नंबर 495/718) कृषि भूमि है मौके पर उक्त कृषि भूमि कहां स्थित है एंव किसके द्वारा काश्त कार्य करवाया जा रहा है ज्ञात नहीं हो सका। समिति वर्तमान में निष्क्रिय है तथा मौके पर समिति की कृषि भूमि कहां स्थित है एवं किनके द्वारा काश्त कार्य करवाया जा रहा है, ज्ञात नही हो सका। समिति को तहसीलदार बाली के द्वारा कुल 533 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि का दिनांक 16.06.1962 को आवंटन किया गया था तथा वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में समिति का नाम मात्र 5.54 बीघा दर्ज है। समिति वर्तमान में निष्क्रय है तथा मौके समिति की कृषि भूमि कहाँ स्थित है एवं किनके द्वारा काश्त कार्य करवाया जा रहा है, ज्ञात नही हो सका अर्थात् समिति, **समिति के उपनियमों में वर्णित उद्येश्यों के अनुरूप ही कार्य नही कर रही है व न ही कभी उपनियमों के अनुसार कार्य किया।** समिति के संचालक मण्डल की बैठको का

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

आयोजन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है तथा आमसभा नियमित रूप से आहुत नही की जा रही है। सामुहिक कृषि सहकारी समिति, बेडल के द्वारा गत कई वर्षो से अंकेक्षण नहीं करवाया जा रहा है। अतः समिति वर्तमान में निष्क्रिय है। सामुहिक कृषि सहकारी समिति बेडल को सामुहिक रूप से कृषि कार्य करने के लिए तहसीलदार द्वारा कुल 533 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि का आवंटन किया गया था तथा वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में समिति का नाम 5.54 बीघा (खसरा नंबर 495/718) दर्ज है। मौके पर समिति की कृषि भूमि कहाँ स्थित है एवं किनके द्वारा काश्त कार्य करवाया जा रहा है, ज्ञात नहीं हो सका, अर्थात समिति, समिति के उपनियमों में वर्णित उद्येश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, साथ ही समिति द्वारा संचालक मण्डल की बैठको का आयोजन नियमित रूप से नही किया जा रहा है तथा आमसभा नियमित रूप से आहूत नहीं किया जा रहा रही है **चूंकि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 61 (1)(ख) की पालना में "चूंकि समिति ने अपने उद्येश्यों के अनुसार कृषि कार्य करना बंद कर दिया है या अधिनियम या नियमों या इसकी उपविधियों के उपबन्धों का बार बार अतिक्रमण किया जा रहा है" अतः समिति का अवसायन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त किए जाने की अनुशंसा की है।**

2. प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बेडल के खसरा 270, 495,495/718, 496 की कृषि भूमि सामुहिक कृषि सहकारी समिति बेडल को सामुहिक रूप से काश्त करने हेतु कृषि भूमि दिनांक 19.06.1962 आवंटित की गई थी लेकिन प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उक्त खसरो को जो रकबा दर्शाया गया है वह गलत है। वास्तविकता में उक्त खसरान का कुल रकबा मात्र 59.46 हैक्टेयर ही बनता है। प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि उक्त सोसायटी का कोई कार्यालय नहीं है जबकि वास्तविकता में सामुहिक कृषि सहकारी समिति बेडल वर्तमान में पूर्णतया कार्यशील है जिसका प्रधान कार्यालय ग्राम बेडल तहसील बाली जिला पाली में स्थित है तथा जिसकी आम सभा सामुहिक कृषि सहकारी समिति बेडल के नियमानुसार समय समय पर बुलाई जाती है समिति के कार्यवाही रजिस्टर की प्रति प्रस्तुत है। उक्त समिति वर्तमान में प्रभावशील है तथा उसका प्रधान कार्यालय ग्राम बेडल में स्थित है अप्रार्थी सोसायटी को आवंटित भुमि खसरा नंबर 495/718 का रकबा 1.1644 हैक्टेयर कृषि भुमि रेल परियोजना के लिये आवाप्त की गई थी जिसके प्रतिकर की राशि सामुहिक कृषि सहाकारी समिति बेडल के अध्यक्ष के नाम चैक जारी किया गया था जो आदेश सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा दिनांक 15.04.2000 को जारी किया गया था इससे उक्त दस्तावेज के आधार पर भी यह साबित होता है कि उक्त सामुहिक कृषि सहकारी समिति बेडल आज भी प्रभाव में है जिसकी प्रभावी कार्यकारिणी आज भी प्रभाव में है।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि सोसायटी के सदस्यो द्वारा खेती नही की जाकर सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से खेती करते है। जबकि सोसायटी को आवंटन सुदा कृषि भुमि पर सोसायटी के सदस्यों द्वारा सामुहिक रूप से खेती की जाती है। सामुहिक कृषि सहकारी समिति बेडल के सदस्यों द्वारा काश्त करने से पूर्व समिति की आमसभा आयोजित की जाती है जिसमें समिति के समस्त सदस्य उपस्थित रहते है एवं वादग्रस्त कृषि भुमि पर काश्त करने हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मती से पारित किया जाकर सामुहिक रूप से बींज, खाद, जोताई, बुवाई, खड़ाई आदि आवंटित कृषि भुमि पर की जाती रही है जो कि समिति के नियमानुसार की जाती है। समिति के द्वारा आज दिन तक आवंटन की शर्तो का पूर्णतया पालन करते हुये वादग्रस्त कृषि भुमि पर काश्त किया जाता रहा है इसलिये प्रार्थी के द्वारा मात्र यह लिख देने से की सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से खेती करते है जो कतई मानने योग्य नहीं है। सामुहिक कृषि सहकारी समिति बेडल के द्वारा समिति के प्रस्ताव आम बैठक की कार्यवाही का रिजस्टर की प्रति प्रस्तुत की है इससे यह स्पष्ट होता है कि सामुहिक कृषि सहकारी समिति बेडल के द्वारा सामुहिक रूप से अलग अलग मौसम मे अलग अलग फसल की बुवाई की गई है तथा करते आ रहे है, जिसका खर्चा, नुकसान आदि सभी सदस्य सामुहिक रूप से वहन करते आ रहे है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 496 को दर्शाया गया है जो कि गैर मुमकिन रास्ता की भुमि है जिस पर काश्त किया जाना कतई साबित नही है जिससे यह साबित होता है कि तहसीलदार द्वारा यह प्रार्थना पत्र बिना दस्तावेजी व मौक की जांच किये बिना प्रस्तुत किया गया है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

सामुहिक कृषि सहकारी समिति बेडल के द्वारा सोसायटी के सभी नियमो का पूर्णतया अक्षरशः पालन किया गया है तथा नियमों के अनुसार आज भी उक्त सोसायटी कार्य कर रही है। सोसायटी के सदस्यो द्वारा समय समय पर प्रभावी रूप से चुनाव कर अपनी कार्यकारणी चुनी जा रही है व सोसायटी के नियमो के अनुसार समय समय पर आम सभी बुलाकर सामुहिक कृषि किये जाने बाबत प्रस्ताव पारित करके सामुहिक कृषि किये जाने बाबत प्रस्ताव पारित करके सामुहिक रूप से कृषि की जा रही है। सोसायटी के सदस्यों द्वारा आज दिन तक सोसायटी के उद्वेश्यों के अनुसार समस्त कार्य किये गये तथा उद्वेश्यों की प्राप्ति करने हेतु गतिशील रहे है। सोसायटी के नियम उद्वेश्य की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है। सामुहिक कृषि सहकारी समिति बेडल आज भी कार्यशील है व सोसायटी के नियमों के अनुसार वर्तमान में भी सामुहिक रूप से खेती कर रहे है तथा सोसायटी के नियमो के पूर्ण रूप से पालन कर रहे है।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

सामुहिक कृषि सहकारी समिति बेडल आज भी कार्यशील, प्रभावशील व सक्षम समिति है जो आज भी सोसायटी के नियमो व आवंटन की शर्तो के अनुसार सामुहिक रूप से कृषि करके प्रगतिशील हो रही है। सोसायटी के रोकड़ बही की प्रति भी पेश की है। उत्तरदाता सहाकारी समिति आज भी वर्तमान में भी प्रगतिशील होकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रही है **राजस्थान भु राजस्व (सहकारी समितियों को भु आंवटन) नियम 1959 के नियम 5 में वर्णित शर्तो का पालन सहकारी समिति द्वारा बखुबी किया गया है** नियमों की शर्तो के अनुसार अप्रार्थी सोयाटी द्वारा प्रश्नगत कृषि भुमि पर आवंटन की तिथि से लेकर आज दिन तक लगातार सम्पूर्ण कृषि भुमि पर सोसायटी के सदस्यो द्वारा सामुहिक रूप से काश्त की जा रही है जो कि राजस्व अधिकारियो द्वारा निर्मित गिरदावरीया मे दर्शित है जिससे यह साबित होता है कि सामुहिक कृषि सहकारी समिति बेडल द्वारा आज दिन तक उक्त नियमो की शर्तो के अनुसार सामुहिक रूप से आवंटितसुदा भुमि के सम्पूर्ण हिस्सो पर सामुहिक रूप से सदस्यो द्वारा कृषि की जा रही है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के उक्त पद में वर्णित कथन के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में पेश नही किया गया है जिससे यह भी साबित नही होता है कि नियम 5 मे वर्णित शर्तो की पालना नही की गई है। सामुहिक कृषि सहकारी समिति बेडल द्वारा समय समय पर स्वीकृत लगान की दरों पर सरकार को लगान अदा किया जाता रहा है तथा जो भी अन्य शुल्क नियमानुसार समिति पर लागू होते है उसका भुगतान समिति द्वारा समय पर किया जाता रहा है समिति द्वारा अदा किये गये लगान का पर्चा लगान प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा प्रश्नगत कृषि भुमि पर किसी भी प्रकार का मुल्य व शुल्क चुकाये बिना अवैध निर्माण नही कराया गया तथा जो भी कार्य कराया गया उसका विहित दरो के अनुसार समुचित रूप से भुगतान किया गया तथा उक्त भुमि पर किसी भी प्रकार का कोई अवैध स्थाई संरचना या परिनिर्माण नही कराया गया तथा न ही सहकारी समिति के किसी सदस्य द्वारा आवंटित भुमि का कोई भी निजी खातेदारी अथवा गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया गया, न ही ऐसा कोई अवैधानिक अधिकार प्राप्त किया गया। समिति द्वारा नियम 5 में वर्णित शर्तो का किसी भी प्रार से हनन नही किया गया। प्रार्थी द्वारा मृतक सदस्यो अप्रार्थी एक व दो के विरूद्ध आवदेन पेश किया है, जिनके विधिक वारिशो को पक्षकार बनाये बिना उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया जा सकता है तथा प्रार्थी ने प्रार्थना के पद संख्या एक में किसी आवंटन को रद्द किये जाने का उल्लेख नही किया है जिससे यह स्पष्ट नही होता है कि प्रार्थी किसी आवंटन को रद्ध कराना चाहता है जसिके अभाव में उक्त प्रार्थना पत्र कतई चलने योग्य नहीं है।

4. उक्त प्रकरण के संबंध मे तहसीलदार बाली से वर्तमान मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बाली ने जाचं रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2019/73 दिनांक 10.01.2019 प्रेषित कर निवेदन किया कि ग्राम बेडल के वर्तमान खसरा नंबर 270,495,497,556

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

कुल रकबा 69.1985 भुमि जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 332 में केसी पत्नि वीराराम, कूपाराम, साकंलाराम, माणकाराम, बाबराराम, नगाराम पि. वीराराम वगैरा जातिगण रेबारी साकिन बेडल, सामूहिक कृषि सहकारी समिति, बेडल के नाम से गैर खातेदारी की दर्ज है। इस प्रकार जमाबंदी मकें निजी व्यक्तियों के नाम गैर खातेदार दर्ज करवा लेना गलत है क्योंकि संस्था का नाम आना चाहिए। अतः इनका व्यक्तिगत हितों को सर्वोपरी रखा है सामुहितो की ऊपेक्षा करके व्यक्तियों ने अपने नाम गैर खातेदारी दर्ज करवा दी। मौके पर सभी खसरा नंबर पर रेबारी समाज क व्यक्तियों कब्जा काश्त है, जिसमें खसरा नंबर 270 रकबा 54.25 हे. किस्म बा.सो. में से रकबा 4.00 हे. भूमि पर वर्तमान में रबी की फसल खड़ी है तथा शेष खसरा पड़त है। खसरा नंबर 495,497 व 556 की भूमि में खरीफ में फसल बाई जाती हैं। रेबारी समाज के व्यक्तियों द्वारा उनकी मनमर्जी अनुसार काश्त की जा रही है, सामूहिक रूप से खेती नही करते है, तथा न ही किसी प्रकार की सोसायटी का गठन किया हुआ है तथा न ही सोसायटी का रेकर्ड संधारित है, न कभी सोसायटी की कोई ऑडिट हुई है। अतः उक्त सोसायटी के नाम राजस्व रेकर्ड में वक्त सेटलमेंट से दर्ज हैं। मौके पर पटवारी हल्का द्वारा जानकारी किये जाने पर बताया कि मौके पर सभी खसरा नंबर मनमर्जी से कुछ लोगो द्वारा काश्त की जाती है।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी श्री भागीरथ सिंह राजपुरोहित से दुरभाष पर संपर्क किया गया। उन्होंने निवेदन किया कि आप उक्त प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

6. उप रजिस्ट्रार सहाकरी समितियाँ, पाली ने अवगत कराया कि कलेक्डर वर्ष 2021–22 की जांच ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बेडल संयुक्त कृषि स.स.लि. वर्तमान में बंद है तथा उक्त समिति की जांच श्री विक्रम सिंह राजावत, निरीक्षक (कार्यकारी), सहकारी समितियाँ, पाली द्वारा करवाई गयी। उक्त जांच अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के अनुसार समिति का नाम बेडल सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि., बेडल, पं,स, बाली है जिसके पंजियक क्रमांक 901/टी, दिनांक 29.06.1964 है जांच पेशी दिनांक 15.10.2019 को समिति के अध्यक्ष/सचिव अनुपस्थित रहे, कोई जवाबादावा प्रस्तुत नही किया गया।

अतः समति को पुनः नोटिस दिनांक 15.10.2019 दिया जाकर जांच पेशी दिनांक 07.11.2019 निश्चित की गई। जांचपेशी दिनांक 07.11.2019 को समिति के अध्यक्ष/ सचिव अनुपस्थित रहे तथा कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया।

वक्त पंजीयन समिति का रजिस्ट्रशन क्रमांक 901/टी, दिनांक 29.06.1964 को बेडल सामूहिक कृषि सहाकरी समिति लि. बेडल, पं.स बाली के नाम से किया गया था। वक्त

अति जिला कलक्टर (स्टीलिंग)
पाली (राज.)

पंजीयन समिति का रजिस्ट्रेशन के समय कुल 18 सदस्य थे तथा सामुहिक कृषि सहकारी समिति बेडल द्वारा कुल पांच संचालकों का मनोनयन किया गया था।

सामुहिक कृषि सहकारी समिति बेडल को तहसीलदार, बाली के द्वारा कुल 533 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि लगभग दो वर्ष पूर्व ही कर दी गयी थी जो कि गलत आवंटन किया। जमावंदी के अनुसार समिति के पास वर्तमान में मात्र 5.54 बीघा (खसरा नंबर 495/718) कृषि भूमि है मौके पर उक्त कृषि भूमि कहां स्थित है एंव किसके द्वारा काश्त कार्य करवाया जा रहा है ज्ञात नहीं हो सका।

समिति वर्तमान में निष्क्रिय है तथा मौके पर समिति की कृषि भूमि कहां स्थित है एवं किनके द्वारा काश्त कार्य करवाया जा रहा है, ज्ञात नही हो सका। समिति को संयुक्त रूप से राज्य सरकार द्वारा कुल 533 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि का आवंटन किया गया था तथा वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में समिति का नाम मात्र 5.54 बीघा दर्ज है।

समिति वर्तमान में निष्क्रय है तथा मौके समिति की कृषि भूमि कहाँ स्थित है एवं किनके द्वारा काश्त कार्य करवाया जा रहा है, ज्ञात नही हो सका अर्थात् समिति, समिति के उपनियमों में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप ही कार्य नही कर रही है व न ही कभी उपनियमों के अनुसार कार्य किया।

समिति के संचालक मण्डल की बैठको का आयोजन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है तथा आमसभा नियमित रूप से आहुत नही की जा रही है। समिति द्वारा गत कई वर्षों से अंकेक्षण नहीं करवाया जा रहा है।

अतः सामुहिक कृषि सहकारी समिति बेडल वर्तमान में निष्क्रिय है। सामुहिक कृषि सहकारी समिति, बेडल को सामुहिक कृषि करने हेतु तहसीलदार, बाली के द्वारा दिनांक 19.06.1962 को कुल 533 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि का आवंटन किया गया था जबकि सामुहिक कृषि सहकारी समिति, बेडल का पंजियन दिनांक 29.06.1964 को हुआ। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में समिति के नाम 5.54 बीघा (खसरा नंबर 495/718) दर्ज है। मौके पर सामुहिक कृषि सहकारी समिति बेडल **की कृषि भूमि कहाँ स्थित है एवं किनके द्वारा काश्त कार्य करवाया जा रहा है, ज्ञात नहीं हो सका, अर्थात समिति के उपनियमों में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, साथ ही समिति द्वारा संचालक मण्डल की बैठको का आयोजन नियमित रूप से नही किया जा रहा है तथा आमसभा नियमित रूपसे आहूत नहीं किया जा रहा रही है चूंकि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 61 (1)(ख) की पालना में "चूंकि समिति ने अपने उद्देश्यों के अनुसार कृषि कार्य करना बंद कर**

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

दिया है या अधिनियम या नियमों या इसकी उपविधियों के उपबन्धों का बार बार अतिक्रमण किया जा रहा है" अतः समिति का अवसायन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त किए जाने की अनुशंसा की है।

7. बहस प्रार्थी वकील की सुनी गई।

8. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम बेडल के खसरा नंबर 270, 495, 495/718, 496 रकबा 72.38 हेक्टर भूमि सामुहिक कृषि सहकारी समिति, बेडल को सामूहिक रूप से काश्त करने हेतू आवंटन की गई थी। सामुहिक कृषि सहकारी समिति, बेडल वर्तमान में कार्यशील नही है तथा कार्यालय भी नही है। **सामुहिक कृषि सहकारी समिति, बेडल के सदस्यों द्वारा खेती नही की जाती है सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से खेती करते है। सोसायटी के सदस्यों ने सामूहिक रूप से खेती नही की है। सोसायटी द्वारा सोसायटी नियमों की पालना नही की गई है। सहकारी समिति विफल हो गई है। अप्रार्थी जवाना तथा हीरा फौत हो चुके है उनके वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया क्योंकि उक्त कृषि भूमि समिति को आवंटित कि गई थी न की किसी व्यक्तिगत या व्यक्ति विशेष को।** अतः **अप्रार्थीगण/आवेदक द्वारा नियम 1959 के नियम 5 में वर्णित शर्तों की पालना नही करने से आवंटन निरस्त योग्य है।**

9. बहस पर मनन किया गया पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। **सामुहिक कृषि सहकारी समिति, बेडल का रजिस्ट्रेशन क्रमांक 901/टी, दिनांक 29.06.1964 है। सामुहिक कृषि सहकारी समिति, बेडल का पंजियन अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, पाली द्वारा किया गया है समिति के रजिस्ट्रेशन के वक्त कुल 18 सदस्य थे तथा समिति द्वारा कुल पांच संचालकों का मनोनयन किया गया था।**

सामुहिक कृषि सहकारी समिति, बेडल का मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने व दूसरे के सहयोग से सदस्यों की आर्थिक और समाजिक दशा में सुधार करना। कम खर्ची और बचत की आदत डालना। खेती और इससे संबंधित दूसरे कार्यो के लिये भूमि खरीदना या पट्टे पर लेना या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त करना। कृषि उपज को बढ़ाने के लिये सामुहिक रूप से कार्य कराना, सारी खेती योग्य भूमि में भूमि के अनुसार फसलो को बोना, फसल को हेरफेर कर बोना और उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्यक्रम बनाना। तालाब, कुआ आदि बनाकर और पम्प आदि लगाकर सिंचाई का प्रबन्ध करना आदि। सहकारिता विचार के पिछे राज्य सरकारो के द्वारा विभिन्न समय में समुदायों के सामुहिक विकास हेतु विभिन्न नितियों के तहत सहकारी समितियों का सहकारिता नियम के अंतर्गत विशेष शर्तो के आधार पर

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

समितियों का पंजिकरण व गठन किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार सिद्ध होता है कि वर्तमान में उक्त सामुहिक कृषि सहकारी समिति बेड़ल अपने उद्देश्य व शर्तों के अनुसार कार्य नही कर रही है मौके पर सभी खसरा नंबर पर व्यक्तिगज कब्जा काश्त है, सहकारी समिति के सदस्य अथवा व्यक्तियों द्वारा उनकी मनमर्जी अनुसार काश्त की जा रही है, सामूहिक रूप से खेती नही करते है, तथा न ही सोसायटी का रेकर्ड संधारित है, न कभी सोसायटी की कोई ऑडिट हुई है। केवल मात्र औपचारिकताए पूर्ण करने के लिए कागजात तैयार करवा लिये जो सामिल पत्रावली है।

मौके पर सभी खसरा नंबर मनमर्जी से कुछ लोगो द्वारा काश्त की जाती है। तथा उक्त समिति वर्तमान में निष्क्रिय है। समिति के उपनियमों में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, साथ ही समिति द्वारा संचालक मण्डल की बैठको का आयोजन नियमित रूप से नही किया जा रहा है तथा आमसभा नियमित रूप से आहूत नहीं किया जा रहा रही है। सामुहिक रूप से कृषि नही कि जा रही है तथा न ही सामुहिक कृषि सहकारी समिति वर्तमान में चालू है अर्थात वह बंद है। सहकारिता विभाग के परिपत्र व अधिनियम का उल्लघन किया है। तथा उक्त समिति द्वारा जो रोकड़ बही की प्रति पेश कि है वो अधुरी पेश की है। उक्त समिति का रजिस्ट्रेशन के लिये जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसके कॉलम नंबर छः **Predominant tribes** के कॉलम में राजपुत, चौधरी व राईका को **tribe** बताया गया है जो कि गलत है। जनजाति में उक्त तीनो ही जातियां नही आती है उक्त मूल प्रार्थन पत्र मे मिथ्या व गलत तथ्य छुपाकर के रजिस्ट्रेशन करवाया है तथा मूल आवंटन दिनांक 19.06.1962 को सामुहिक कृषि सहकारी समिति बेडल के नाम आवंटन किया गया। जबकि समिति का रजिस्ट्रेशन क्रमांक 901/टी, दिनांक .06.1964 को सहकारी रजिस्ट्रार, पाली के यहां पंजीयन करवाया गया। इस प्रकार से जो समिति आंवटन के वक्त अस्तीत्व में नही थी तब आंवटन करना विधि संगत प्रतीत नहीं होता है। आवंटन समिति द्वारा किया गया आंवटन प्रक्रिया विधि पूर्वक नही है।

आवंटन पत्र पर आवंटन समिति के अन्य सदस्यों के सहमती/अनुशंषा तथा हस्ताक्षर नही है। तहसीलदार द्वारा किया उक्त आवंटन दिनांक 19.06.1962 का स्वतः ही निरस्त योग्य है। चूंकि आंवटन पत्र पर केवल मात्र तहसीलदार भुमान सिंह के ही हस्ताक्षर है तथा अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त आंवटन संदह की श्रेणी में आता है तथा तहसीलदार बाली ने जवाब मे बताया गया कि वक्त सेटलमेंट उक्त जमीन सहकारी समिति बेडल के नाम दर्ज कर दी गई। अलोटमेन्ट कमेटी

अति. जिला कलेक्टर (संयोजन)
पाली (राज.)

द्वारा कृषि भूमि का आवंटन दिनांक 19.06.1962 का सामुहिक कृषि सहकारी समिति, बेडल को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. अतः ग्राम बेडल पटवार हल्का बेडल भु.अ.नि. खुडाला के पुराना खसरा नंबर 54 रकबा 287 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 74 रकबा 146 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी दोयम तथा खसरा नंबर 168 रकबा 100 बीघा किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि को अलोटमेन्ट कमेटी द्वारा भूमि का आवंटन सामुहिक कृषि सहकारी समिति, बेडल के नाम किया गया है दिनांक 19.06.1962 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बाली को निर्देश दिया जाता है कि ग्राम बेडल पटवार हल्का बेडल भु.अ.नि. खुडाला के पुराना खसरा नंबर 54 रकबा 287 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 74 रकबा 146 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी दोयम तथा खसरा नंबर 168 रकबा 100 बीघा किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि का मिलान क्षेत्रफल से बने नये खसरे से मिलान कर उक्त कृषि भूमि को सरकारी भूमि (सिवायचक) दर्ज किया जावें। इस निर्णय प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार, बाली को प्रेषित की जावें। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)